बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण। सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि १० अक्तूबर १९५५ को ११ बजे पुर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

रांची में ग्राम-सेविका प्रशिक्षण।

६४। श्री चुनका हेम्ब्रोम—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) (क) क्या यह बात सही है कि विकास विभाग द्वारा जो ग्राम-सेविका ट्रेनिंग कैम्प रांची में वरियातु हाउस में खोला गया है वह शहर से बहुत दूर है तथा निर्जन स्थान में है, (ख) क्या वह मुहल्ला सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है;

(२) क्या यह बात सही है कि वहां ट्रेनिंग पानेवाली महिलाओं ने तथा अन्य लोगों ने भी उस मकान से ट्रेनिंग कैम्प हटाने के लिए सरकारी अधिकारी के पास लिखा है;

(३) यदि खंड (१) और (२) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अविलम्ब उस कैम्प को वहां से हटाकर किसी अन्य मकान में ले जाने का निर्णय अबतक कर चुकी है, यदि हां, तो वह कहां हटाया जायगा?

श्री हरिनाथ मिश्र—(१) (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) यह बात सही नहीं है।

(२) यह बात सही है।

(३) कैम्प को एक नए मकान में जो शहर के नजदीक है लेजाने का निर्णय हो रहा है।

श्री चुन्का हेम्ब्रोम—कौन मकान?

बिहार टेनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९५४ पर आवेदनपत्र समिति के प्रतिवेदन का उपस्थान।

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE PETITION COMMITTEE ON THE BIHAR TENANCY (AMENDMENT) BILL, 1954.

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं बिहार विधान सभा में उपस्थित किये गये बिहार टेनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९५४ पर आवेदनपत्र समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष—प्रतिवेदन उपस्थित किया गया।

बिहार विधान परिषद् से प्राप्त संदेश।

MESSAGE RECEIVED FROM THE LEGISLATIVE COUNCIL.

सचिव—महोदय, बिहार विधान परिषद् से यह संदेश प्राप्त हुआ है :

That the Bihar Legislative Council at its meeting held on the 5th October, 1955, considered and agreed, without any recommendation, to the Bihar Appropriation (No. 3) Bill, 1955 which was passed by the Bihar Legislative Assembly at its meeting held on the 27th September, 1955.

विधान कार्य: सरकारी विधेयक:

LEGISLATIVE BUSINESS: OFFICIAL BILLS:

बिहार कान्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रैगमेंटेशन बिल, १९५५ (१९५५ की वि० सं० ३५)।

THE BIHAR CONSOLIDATION OF HOLDINGS AND PREVENTION OF FRAGMENTATION BILL, 1955 (BILL NO. 35 OF 1955).

अध्यक्ष—उस दिन राजस्व मंत्री, श्री कृष्ण वल्लभ सहाय इस बिल को पुरःस्थापित करने के लिये प्रस्ताव उपस्थित करना चाहते थे तो श्री जमुना प्रसाद सिंह ने उज्र किया था कि वे इसका विरोध करना चाहते हैं। उनका क्या उज्र है इसे मैं जानना चाहता हूं।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—पहले बिल को तो टेक-अप कर लें। इस पर अभी बहस हो सकती है और देरी हो जायगी।

SPEAKER : Ordinarily there should be no discussion at the introduction stage of a Bill. I want to know from Shri Jamuna Prasad Sinha as to what is his objection at this stage.

Shri JAMUNA PRASAD SINHA : Sir, I want to draw your attention to rule 37 of the Assembly Rules which says "No motion shall seek to anticipate debate upon any matter previously appointed or with respect to................"

अध्यक्ष—पुरःस्थापन के प्रस्ताव पर कोई वादविवाद होने वाला है क्या ?

श्री जमुना प्रसाद सिंह—जी नहीं।

अध्यक्ष—तो फिर यह उज्र कैसा ?

श्री जमुना प्रसाद सिंह—इसके वाद नियम ४३ देखा जाय जिसमें है :

"Where substantially identical motion......"

अध्यक्ष—अभी किस मोशन को लाया जा रहा है ?

*Shri JAMUNA PRASAD SINHA : The Hon'ble Minister cannot move a motion when a similar motion is already under discussion.

SPEAKER : What is the rule in the support of your statement ?

Shri JAMUNA PRASAD SINHA : I want to draw your attention to rule 37 of the Assembly Rules.

SPEAKER : But it does not require any debate at the introduction stage of the Bill.

Shri JAMUNA PRASAD SINHA : Sir, the rule even prohibits introduction of the Bills. It will anticipate a discussion on the Bill.

SPEAKER : But there will be no debate on the motion of introduction and so how can there be any anticipation at all ?

श्री जमुना प्रसाद सिंह—हुजूर जरा नियम ४३ देखा जाय............

SPEAKER : You are confusing the matters. At this stage the Bill is simply to be introduced. There are definite stages for discussion.

श्री जमुना प्रसाद सिंह—हम भी खुद गौर से देख रहे हैं। किताबें भी आप के पास मौजूद हैं इसके लिये।

अध्यक्ष—किताब अभी के लिये नहीं है, आगे के लिये हैं। एक हुरूफ भी अभी इसकी जरूरत नहीं है।

इसके वाद कोई मोशन नहीं करना पड़ेगा क्या ?

श्री जमुना प्रसाद सिंह—करना पड़ेगा लेकिन.......

अध्यक्ष—इसलिये आप इस मोशन को नहीं रोक सकते हैं। अगर पुरःस्थापित करके वे बैठ जायंगे तो आप क्या करेंगे ? डीबेट की बात कहां आती है ?

श्री जमुना प्रसाद सिंह—तब पुरःस्थापित क्यों कर रहे हैं ?

अध्यक्ष—हो सकता है दूसरे सत्र में प्रवर समिति में भेजने का मोशन वे लायें और तीसरे सत्र में इसको पास करने का मोशन लावें। अभी आप कैसे इसे रोक सकते हैं ?

श्री जमुना प्रसाद सिंह—यह मोशन इसलिये लाया जा रहा है कि इसके बाद वे प्रवर समिति में इसे भेजें।

अध्यक्ष—बहुत से कामों के लिये पुरःस्थापित किया जा सकता है लेकिन काम की सूचना तो हम आपको देंगे। कोई भी मोशन किसी सूचना के बिना नहीं आ सकता है।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—हमारे पास अथोरिटीज हैं।

अध्यक्ष—आप बतायें।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—पेज ३८३, मेज पार्लियामेंटरी प्रोसिड्योर को देखा जाय। इसमें है:

"A motion must not anticipate a matter already appointed for consideration by the House."

अध्यक्ष—यह मोशन क्या ऐन्टीसिपेट करता है ?

Shri JAMUNA PRASAD SINHA : If it is a motion, as you said it to be a motion, then it anticipates a debate on the motion previously given notice of.

SPEAKER : This particular motion does not anticipate that there should be any debate on it.

Shri JAMUNA PRASAD SINHA : I am simply to show that it anticipates a debate.

SPEAKER : By virtue of this motion the rule requires that there should be a debate on the motion ?

Shri JAMUNA PRASAD SINHA : Not necessarily.

SPEAKER : You are not interpreting the rule correctly.

Shri JAMUNA PRASAD SINHA : I want to interpret it in my own way. This Bill cannot be brought without contravening the rule.

SPEAKER : I have given my ruling. You are perfectly mistaken.

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि बिहार कान्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एँड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रैगमेंटेशन बिल, १९५५ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है

कि : बिहार कान्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एँड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रैगमेंटेशन बिल, १९५५ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार कान्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एँड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रैगमेंटेशन बिल, १९५५ को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष—विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

बिहार ऐग्रिकल्चरल लैंड्स (सीलिंग एँड मैनेजमेंट) बिल, १९५५ (१९५५ की बि० सं० ३६)।

THE BIHAR AGRICULTURAL LANDS (CEILING AND MANAGEMENT) BILL 1955 (BILL NO. 36 OF 1955).

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार एग्रिकल्चरल लैंड्स (सीलिंग एँड मैनेजमेंट) बिल, १९५५ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

Shri JAMUNA PRASAD SINHA : Sir, I rise on the same issue.

SPEAKER : That issue has already been rejected.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार ऐग्रिकल्चरल लैंड्स (सीलिंग एँड मैनेजमेंट) बिल, १९५५ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।